कार्यालय वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद
जिला – गरियाबंद (छ0ग0)

7706-241350 Email dfogariaband@gmail.com FAX 7706-241407

गरियाबंद, दिनांक 17/03/2020

क्रमांक/मा.चि./भू–प्रबंध/324

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त रायपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Bharat Net Phase-II Gariaband-Division "BharatNet Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs Block through opticfibre cable laying of approximately 32,466 KM. the Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across tha State, area - 19.099 ha. - regarding. FP/CG/OFC/43120/2019**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–833/3183 रायपुर, दिनांक 24.12.2019

––000––

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशो तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार वनमण्डलाधिकारी से अनुशंसा उपरांत प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी F.C.Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी रायपुर छ0ग0 भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–II परियोजना द्वारा गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमण्डल में आरक्षित/संरक्षित/राजस्व वन क्षेत्र के कक्ष/खसरा में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु रूपये 24000/– जमा कराये गये है।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है एवं इससे सागौन/साल/मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है एवं वन की Site Quality II/III/IIIA/IIIB/IVA/IVB है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वनभूमि का वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :–
   (i) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (आप्टिकल फायबर केबल बिछाने) हेतु मांग की जा रही वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वनभूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
   (ii) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वन हेतु संबंधित पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न।
7. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 3 बी का उल्लंघन किया/नहीं किया है।
8. आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण का भाग एवं आवेदित वनभूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अनुशांसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धातों के अनुरूप सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रस्ताव राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 04 प्रति में संलग्न प्रेषित है।

Scanned with CamScanner

बि.क्रं. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 01 तक)

टीप :– भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–II अतंर्गत रकबा 19.099 हेक्टेयर वनभूमि में आप्टिकल फाबर केबल बिछाने हेतु मॉग की गई हैं।

बि.क्रं. 2. रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑन लाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिसं (प्रस्ताव पृष्ठ 02 से 03 तक)

टीप :– रजिस्ट्रेशन कोड – **FP/CG/OFC/43120/2019**
ऑन लाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति संलग्न।

बि.क्रं. 3. वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 04 से 33 तक)

टीप :– आरक्षित वन क्षेत्र रकबा –1.560 हे. संरक्षित वनक्षेत्र रकबा – 13.072, नारंगी क्षेत्र रकबा – 3.366 हे. राजस्व–वनक्षेत्र रकबा – 1.101 हे. कुल रकबा – 19.099 हे. प्रस्तावित हैं।

बि.क्रं. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 34 तक) टीप दी जावे।

शासकीय/अशासकीय राजस्व भूमि रकबा 47.703 हेक्ट. ।

बि.क्रं. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 35 से 39 तक) टीप दी जावे।

वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर संलग्न है।

बि.क्रं. 6. वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 40 से 55 तक) टीप दी जावे।

वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्रं. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 56 से 63 तक) टीप दी जावे।

भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–II अतंर्गत रकबा 19.099 हेक्टेयर वनभूमि में आप्टिकल फायबर केबल बिछाया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में कार्य की लागत 1268.65 करोड़ रूपये व्यय प्रस्तावित है।

बि.क्रं. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 64 से 66 तक) टीप दी जावे।

भारतनेट प्रोजेक्ट जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में जाना जाता है जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। दूरसंचार को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी प्रदान किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

9. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 67 तक) टीप दी जावे।

आवेदक विभाग द्वारा न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है।

10. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो / जिम्मेदार अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों का विवरण एवं उनके विरूध्द की गई कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 68 से 68 तक) टीप दी जावे।

-----00 निरंक 00 ----

वि.क्रं. 11. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 69 से 104 तक) – टीप दी जावे।

भाग –1 :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना " भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –II के अंतर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा गरियाबंद जिला के गरियाबंद वनमण्डल क्षेत्रातंर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूद राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 17.998 हे.वनभूमि एवं 1.101 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 19.099 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।

भाग –2 :– भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत आप्टीकल फायबर केबल बिछाने में निम्नानुसार प्रकार के वनभूमि प्रभावित हो रहा हैं :–

आरक्षित वनभूमि रकबा – 1.560 हे.
संरक्षित वनभूमि रकबा – 12.072 हे.
नारंगी वनभूमि रकबा – 3.366 हे.
राजस्व वनभूमि रकबा – 1.101 हे.
कुल रकबा – 19.099 हे.

शासन निर्देशानुसार वनभूमि पर भूमिगत आप्टीकल फायबर केबल राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत बिछाने पर वन विभाग को आपत्ति नहीं है।

वि.क्रं. 12. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105 से 105 तक) – टीप दी जावे।

आवेदित स्थल में एतिहासिक स्थल नहीं आता है।

वि.क्रं. 13. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 106 से 109 तक) – टीप दी जावे।

ग्राम पंचायत – गरियाबंद, छुरा, मैनपुर एवं देवभोग ब्लाक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत आप्टीकल फायबर केबल बिछाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

Scanned with CamScanner

क्रं. 14. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ 110 से 110 तक) – टीप दी जावे।

गरियाबंद जिले के अंतर्गत गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद का कुल अधिसूचित वन भूमि रकबा 1951.860 हे. है।

बि.क्रं. 15. व.स.अ. 1980 अतंर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से 111 तक) – टीप दी जावे।

वन संरक्षण अधिनियम – 1980 के तहत गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद के अंतर्गत जिले के स्वीकृति प्रकरणों में 12 प्रकरण रकबा 241.075 हे. वनभूमि प्रभावित हुई ।

बि.क्रं. 16. व.स.अ. 1980 अतंर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 112 से 112 तक) – टीप दी जावे।

1. गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद अंतर्गत जिले के स्वीकृत 02 प्रकरण रकबा 3.608 हे. वनभूमि व्यपवर्तित हुई है।

बि.क्रं. 17. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से 113 तक) – टीप दी जावे।

––––– 00 निरंक 00 –––––

बि.क्रं. 18. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 114 से 115 तक) – टीप दी जावे।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर गरियाबंद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

बि.क्रं. 19. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 116 से 122 तक) – टीप दी जावे।

गैर वानिकी उपयोग हेतु कलेक्टर गरियाबंद द्वारा राजस्व भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

बि.क्रं. 20. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 123 से 123 तक) – टीप दी जावे।

टीप :– रजिस्ट्रेशन कोड – **FP/CG/OFC/43120/2019** पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क 24000/– की राशि डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 032185 एवं 032179 दिनांक 22.11.2019 रूपये वसूल की जाकर कोषालय के चालान क्रमांक 59 दिनांक 16/01/2020 को पी.डी. खाता में जमा कर दिया गया है।

Scanned with CamScanner

बि.क्रं. 21. राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अन्दर से ओ.एफ.सी. गुजने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा (प्रस्ताव पृष्ठ 124 से 124 तक) – टीप दी जावे।

आवश्यकता नहीं है।

... ...

संलग्न :–1. परियोजना प्रतिवेदन (04 प्रतियों में)।
2. DGPS सर्वे रिर्पोट आवेदित क्षेत्र (04 प्रतियों में)।
3. अपलोड फार्म A का पार्ट I एवं II

वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद
गरियाबंद, दिनांक 17/03/2020

पृ.क्रमांक/मा.चि./ भू–प्र./325

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर।
(2) कलेक्टर जिला गरियाबंद।
(3) आवेदनकर्ता JCEO Chhattishgarh Infortech Promotion Society CHiPS, 2nd Flor, SDC Buliding, Civil line Raipur

वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

Scanned with CamScanner